



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

कादर नवाज़ ख़ान

Kadar Nawaz Khan

कार्यकारी कुलसचिव/ Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक : 005/वि.प.ग./59 (3)/438

तिथि : 14. 11. 2017

अधिसूचना

विश्वविद्यालय के परिनियम 14 (1) (K) के अंतर्गत निम्नलिखित दो विद्यार्थियों को विद्या-परिषद् में एक अकादमिक वर्ष (2017-18) के लिए **विद्यार्थी प्रतिनिधि** के रूप में नामित किया जाता है-

1. श्री कृष्ण कुमार मिश्र- शोधार्थी (पी-एच.डी.), हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
2. सुश्री सुरभि चेतिया- विद्यार्थी (एम.ए. तृतीय सेमेस्टर), भाषाविज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।

कादर नवाज़

(कादर नवाज़ ख़ान)

14/11/17

प्रति: संबंधित सभी।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ।

1. कुलपति कार्यालय।
2. प्रतिकुलपति कार्यालय।
3. विद्या-परिषद् के सभी माननीय सदस्य।
4. कार्य-परिषद् के सभी माननीय सदस्य।
5. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.
6. निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.
7. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002.
8. विश्वविद्यालय के सभी विद्यापीठ/विभाग/केंद्र/अनुभाग।
9. सहायक कुलसचिव (परिषद्) को आवश्यक कार्रवाई के लिए।
10. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
11. संबंधित फाइल।